

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
(पुरवठा विभाग)

ईमेल- ahmednagardso@gmail.com

दूरध्वनी नंबर 0241 – 2320236

क्रमांक/जि.पु.4(1)/211 अ/2021,
अहमदनगर, दिनांक 13/08/2021

जाहीर सूचना

अहमदनगर जिल्हयातील तमाम नागरिकांना कळविण्यात येते की, जिल्हयातील 14 तालुक्यातील फक्त ग्रामीण क्षेत्राकरिता 111 गावातील 111 ठिकाणी रास्तभाव दुकान परवाना मंजुर करण्याकामी याव्दारे जाहीरनामा प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

सदर जाहीरनाम्यातील सविस्तर अटी व शर्ती, आवश्यक कागदपत्रांचा तपशील नमुना फॉर्म, इत्यादीबाबत माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर चे अधिकृत संकेतस्थळावर www.ahmednagar.nic.in उपलब्ध आहे. तसेच संबंधीत तहसिल कार्यालयातील पुरवठा शाखेत वरील संपूर्ण तपशील व कोरे अर्ज उपलब्ध होतील.

स्वस्त धान्य दुकान परवाना मिळण्यासाठी सादर करावयाच्या अर्जाची अंतिम मुदत दिनांक 13/9/2021 (शासकीय सुट्टी वगळून) कार्यालयीन वेळेत असेल.

स्वाक्षरीत/--

(जयश्री माळी)

जिल्हा पुरवठा अधिकारी,
अहमदनगर.

जाहिरनामा

महाराष्ट्र शासनाचे रास्तभाव / शिधावाटप दुकाने व केरोसीन परवाने मंजूर करणेबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक राभादु- 1716/प्रक्र 239/नापू-31 दिनांक 06 जुलै, 2017 अन्वये निर्णय घेतला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार दिनांक 03 नोव्हेंबर, 2007 चा शासन निर्णय तसेच 25 जुन, 2010 च्या शासन पत्राद्वारे दिलेल्या सुचना अधिक्रमीत करून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 च्या कलम 12 (1) (e) मधील तरतूदींचा समावेश सदर शासन निर्णयामध्ये केलेला आहे. आजमितीस रद्द असलेली व राजीनामा मंजूर किंवा राजीनामा मंजुरीकरिता प्रकरण प्रलंबित असलेल्या रास्तभाव दुकाने सदर शासन निर्णयात नमूद केलेल्या प्राथम्य क्रमानुसार मंजूर करावयाचे आहेत.

शासन परिपत्रक क्रमांक राभादु- 2117/ प्र.क्र.157/ नापू 31 दिनांक 1 ऑगस्ट,2017 नुसार जाहिरनामा प्रसिध्दीचा कालबध्द कार्यक्रम निश्चित करून अहमदनगर जिल्ह्यातील तालुक्यामधील खालील नमूद केलेल्या ठिकाणी नवीन रास्तभाव दुकान मंजूर करणेकामी जाहिरनामा प्रसिध्द करित आहे.

| अ.क्र. | तालुका | गावाचे नाव | मंजूर करावयाच्या स्वस्त धान्य दुकानांची संख्या | न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचा तपशील |
|--------|-----------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | नगर | सांडवा | 1 | -- |
| 2 | नगर | कोळपे आखाडा | 1 | -- |
| 3 | नगर | उदरमल | 1 | -- |
| 4 | नगर | मजलेचिंचोली | 1 | -- |
| 5 | नगर | पारगाव मौला | 1 | उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका प्रलंबित |
| 6 | श्रीगोंदा | निमगाव खलू | 1 | -- |
| 7 | श्रीगोंदा | आनंदवाडी | 1 | -- |
| 8 | श्रीगोंदा | बाबुर्डी | 1 | -- |
| 9 | श्रीगोंदा | बोरी | 1 | -- |
| 10 | श्रीगोंदा | देऊळगाव | 1 | -- |
| 11 | श्रीगोंदा | येळपणे | 1 | उपआयुक्त (पुरवठा) नाशिक यांचे कडेस अपील प्रलंबित |
| 12 | श्रीगोंदा | पोलीसवाडी | 1 | उपआयुक्त (पुरवठा) नाशिक यांचे कडेस अपील प्रलंबित |
| 13 | कर्जत | कापरेवाडी | 1 | -- |
| 14 | कर्जत | बेडी | 1 | -- |

| | | | | |
|----|--------|----------------|---|--|
| 15 | कर्जत | गुरवपिंप्री | 1 | -- |
| 16 | जामखेड | राजुरी | 1 | उपआयुक्त (पुरवठा) नाशिक यांचे कडेस अपील प्रलंबित |
| 17 | जामखेड | सोनगाव | 1 | -- |
| 18 | जामखेड | पांढरेवाडी | 1 | -- |
| 19 | पारनेर | गाडीलगाव | 1 | -- |
| 20 | पारनेर | सुलतानपूर | 1 | -- |
| 21 | पारनेर | पळवे बु | 1 | -- |
| 22 | पारनेर | मुंगशी | 1 | -- |
| 23 | पारनेर | वाघुंडे खु | 1 | -- |
| 24 | पारनेर | बहिरोबावाडी | 1 | -- |
| 25 | पारनेर | पिंपळगाव तुर्क | 1 | -- |
| 26 | पारनेर | वेसदरे | 1 | -- |
| 27 | पारनेर | गारगुंडी | 1 | -- |
| 28 | पारनेर | भोंद्रे | 1 | -- |
| 29 | पारनेर | कारेगाव | 1 | -- |
| 30 | पारनेर | डोंगरवाडी | 1 | -- |
| 31 | पारनेर | मोरवाडी | 1 | -- |
| 32 | पारनेर | शेरी कासारे | 1 | -- |
| 33 | पारनेर | रेनवडी | 1 | -- |
| 34 | पारनेर | गारखिंडी | 1 | -- |
| 35 | पारनेर | पाडळी दर्या | 1 | -- |
| 36 | पारनेर | वडुले | 1 | -- |
| 37 | पारनेर | घाणेगाव | 1 | -- |
| 38 | पारनेर | हकीकतपूर | 1 | -- |
| 39 | पारनेर | कासारे | 1 | -- |
| 40 | पारनेर | जाधववाडी | 1 | -- |
| 41 | नेवासा | बोरगाव | 1 | -- |
| 42 | नेवासा | माळेवाडी दु | 1 | -- |
| 43 | नेवासा | खेडले परमानंद | 1 | -- |
| 44 | नेवासा | झापवाडी | 1 | -- |
| 45 | नेवासा | सांगवी | 1 | -- |
| 46 | नेवासा | माळेवाडी खा | 1 | -- |
| 47 | नेवासा | जळके खु | 1 | -- |
| 48 | नेवासा | गोयगव्हाण | 1 | -- |

| | | | | |
|----|------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 49 | नेवासा | गोपाळपूर | 1 | -- |
| 50 | नेवासा | फत्तेपूर | 1 | -- |
| 51 | नेवासा | सुरेगाव गंगा | 1 | -- |
| 52 | संगमनेर | बांबळेवाडी | 1 | -- |
| 53 | संगमनेर | कणसेवाडी | 1 | -- |
| 54 | संगमनेर | चिंचेवाडी | 1 | -- |
| 55 | संगमनेर | वडझरे बु | 1 | -- |
| 56 | संगमनेर | मांची | 1 | -- |
| 57 | राहुरी | गुंजाळे | 1 | -- |
| 58 | राहुरी | खडांबे बु | 1 | -- |
| 59 | राहुरी | डिग्रस (म फुले कृषी विद्यापीठ) | 1 | -- |
| 60 | राहुरी | गडदे आखाडा | 1 | -- |
| 61 | राहुरी | चिंचाळे | 1 | -- |
| 62 | राहुरी | जांभुळबन | 1 | -- |
| 63 | राहुरी | जातप | 1 | -- |
| 64 | राहुरी | माळेवाडी डुक्रेवाडी | 1 | -- |
| 65 | श्रीरामपूर | कडीत बु | 1 | -- |
| 66 | श्रीरामपूर | अशोक नगर | 1 | -- |
| 67 | श्रीरामपूर | मातुलठाण | 1 | -- |
| 68 | कोपरगाव | शहापूर | 1 | -- |
| 69 | कोपरगाव | धोंडेवाडी | 1 | -- |
| 70 | कोपरगाव | बहादराबाद | 1 | -- |
| 71 | कोपरगाव | डाऊच बु | 1 | -- |
| 72 | कोपरगाव | बोलकी | 1 | -- |
| 73 | कोपरगाव | घारी | 1 | -- |
| 74 | कोपरगाव | चांदेकासारे | 1 | -- |
| 75 | कोपरगाव | कोपरगाव | 1 | कोपरगाव न्यायालय येथे प्रलंबित |
| 76 | अकोले | मनोहरपूर | 1 | -- |
| 77 | अकोले | डोंगरवाडी | 1 | -- |
| 78 | अकोले | कोदणी | 1 | -- |
| 79 | अकोले | मुरशेत | 1 | -- |
| 80 | अकोले | सावरकुटे | 1 | -- |
| 81 | अकोले | चितळवेढे | 1 | -- |
| 82 | अकोले | भंडारदरा | 1 | -- |

| | | | | |
|-----|---------|----------------|---|----|
| 83 | अकोले | माळेगाव | 1 | -- |
| 84 | अकोले | जायनावाडी | 1 | -- |
| 85 | अकोले | ढोकरी | 1 | -- |
| 86 | अकोले | पुरुषवाडी | 1 | -- |
| 87 | अकोले | पाभुळवाडी | 1 | -- |
| 88 | अकोले | तिरडे | 1 | -- |
| 89 | अकोले | आंबेवंगण | 1 | -- |
| 90 | अकोले | टिटवी | 1 | -- |
| 91 | अकोले | शेणित खु | 1 | -- |
| 92 | अकोले | मोरवाडी | 1 | -- |
| 93 | अकोले | मवेशी | 1 | -- |
| 94 | अकोले | मानिक ओझर | 1 | -- |
| 95 | अकोले | पिंपरी | 1 | -- |
| 96 | अकोले | बोरी | 1 | -- |
| 97 | अकोले | केळी ओतूर | 1 | -- |
| 98 | अकोले | सोमलवाडी | 1 | -- |
| 99 | राहाता | पिंपळस | 1 | -- |
| 100 | राहाता | अस्तगाव | 1 | -- |
| 101 | राहाता | नांदुर खु | 1 | -- |
| 102 | पाथर्डी | पारेवाडी | 1 | -- |
| 103 | पाथर्डी | सोमठाणे खु | 1 | -- |
| 104 | पाथर्डी | ढाकणवाडी | 1 | -- |
| 105 | पाथर्डी | सोमठाणे नलावडे | 1 | -- |
| 106 | पाथर्डी | सांगवी बु | 1 | -- |
| 107 | पाथर्डी | मालेगाव | 1 | -- |
| 108 | पाथर्डी | चेकेवाडी | 1 | -- |
| 109 | शेवगाव | वरुर खु | 1 | -- |
| 110 | शेवगाव | भगुर | 1 | -- |
| 111 | शेवगाव | विजयपूर | 1 | -- |

सदरचे अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर चे अधिकृत संकेतस्थळावर www.ahmednagar.nic.in व संबंधीत तहसिल कार्यालय (पुरवठा शाखा) येथे उपलब्ध होतील. सदर अर्ज दिनांक 13/9/2021 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत (शासकीय सुट्टी वगळून) संबंधीत तहसिल कार्यालय (पुरवठा शाखा) येथे स्विकारण्यात येतील. उपरोक्त नमूद शासन निर्णयामध्ये इच्छूक पंचायत /संस्था/गट यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रासह संबंधीत तहसिल कार्यालयाकडेस मुदतीत अर्ज

सादर करावेत. अर्ज स्वीकारण्याचे दिनांक 13/9/2021 नंतर अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाही किंवा त्यानंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाही.

वरील जाहिरनामा काढलेले रास्तभाव दुकान मंजूर करणेबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक राभादु- 1716/प्रक्र 239/नापू-31 दिनांक 06 जुलै, 2017 व शासनाकडील पत्र क्रमांक राभादु 1716/प्र.क्र. 239/17 नापू 31 दिनांक 07 सप्टेंबर, 2018 अन्वये प्राधान्य क्रमानुसार दुकाने मंजूरीची कार्यवाही करणेत येईल. जाहिरनामा ज्या गावासाठी प्रसिध्द केलेला आहे. त्याच गावातील / क्षेत्रातील पंचायत (ग्रामपंचायत / तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था / नोंदणीकृत स्वयंसहायता बचत गट, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था, संस्था अधिनियम अंतर्गत नोंदणी झालेल्या सार्वजनिक संस्था किंवा सार्वजनिक न्यास यांनी रास्तभाव दुकानांसाठी स्वतंत्र अर्जाद्वारे मागणी करावी.

प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे कडील पत्र क्र. राभादू 1716/प्र.क्र.239/17/नापू 31, दिनांक 7/9/2018 पत्रान्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्वस्त धान्य दुकानांचे प्राथम्यक्रम खालील प्रमाणे आहेत.

1. पंचायत (ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था).
2. नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट.
3. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था.
4. संस्था नोंदणी अधिनियमांतर्गत नोंदणी झालेल्या सार्वजनिक संस्था किंवा सार्वजनिक न्यास.

उपरोक्त नमूद शासन निर्णयान्वये संबंधितांनी अर्ज केल्यानंतर प्राधान्य क्रमानुसार रास्तभाव दुकाने मंजूर केलेल्या दुकानांचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदायाद्वारे करणे आवश्यक राहिल. प्राधान्य सुचीनुसार पंचायत /संस्था / गटांची निवड करताना जेष्ठ, वर्धनक्षम व नियमित कार्यरत असलेल्या व अंतर्गत व्यवहार पारदर्शक व परतफेड चोख व नियमित असलेल्या व प्रतिवर्षी लेखा परिक्षण केलेल्या पंचायत / संस्था / गटास प्राधान्य देण्यात येईल.

अर्ज करतांना अर्जासोबत पंचायत/संस्था / स्वयंसहायता गटांनी खालील कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावे.

- 1 पंचायत (ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था) यांचेसाठी ग्रामसभेचा ठराव ग्रामपंचायतचा दुकान मागणीचा अर्ज, तेरीज पत्रक, ग्रामपंचायत अर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेबाबत गटविकास अधिकारी यांचा दाखला इत्यादी.
- 2 पंचायत (ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था), नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था नोंदणी अधिनियमांतर्गत नोंदणी झालेल्या सार्वजनिक संस्था किंवा सार्वजनिक न्यास. नोंदणी प्रमाणपत्र.
- 3 पंचायत / स्वयंसहायता बचत गट,/ संस्था/ सार्वजनिक संस्था/ न्यास यांचे अर्थिक स्थितीबाबत कागदपत्र जसे बँक पासबुक व बँकेचे प्रमाणपत्र
- 4 व्यवसाय करावयाच्या जागेचे मालकीबाबत प्रमाणपत्र, जागा भाड्याची असल्यास भाडेपत्र, घर, टॅक्सपावती, सातबारा व 8 अ, लाईट बिल, मिळकत उतारा, जागेचे क्षेत्रफळ, व्यवसाय ठिकाणाचे क्षेत्रफळ चौ. फुटामध्ये

- 5 बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचे व परत फेडीचे प्रमाणपत्र (बँकेचे)
- 6 पंचायत / स्वयंसहायता बचत गट./ संस्था/ सार्वजनिक संस्था/ न्यास यांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल.
- 7 पंचायत / स्वयंसहायता बचत गट./ संस्था/ सार्वजनिक संस्था/ न्यास यांचे वार्षिक लेखे व हिशोब सन 2016 – 2017 पासून आजपर्यंत तपासणी केलेल्या संस्थेचा अहवाल.
- 8 पंचायत / स्वयंसहायता बचत गट./ संस्था/ सार्वजनिक संस्था/ न्यास यांना दिलेले कर्ज व झालेली परत फेड विवरण. (2016 – 2017 पासून आतापर्यंत)
- 9 पंचायत / स्वयंसहायता बचत गट./ संस्था/ सार्वजनिक संस्था/ न्यास यांचे अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सचिव व सर्व सभासदाचे नांव पुर्णपत्त्यासह
- 10 पंचायत / स्वयंसहायता बचत गट./ संस्था/ सार्वजनिक संस्था/ न्यास यांचे मुळ व आजचे भाग भांडवल व सध्या करीत असलेले व्यवसाय व कार्याची संपूर्ण माहिती.
- 11 रास्तभाव दुकान मिळणेबाबत व व्यवसाय करणेबाबत संमती दर्शविलेला पंचायत / स्वयंसहायता बचत गट./ संस्था/ सार्वजनिक संस्था/ न्यास यांचा ठराव.
- 12 पंचायत / स्वयंसहायता बचत गट./ संस्था/ सार्वजनिक संस्था/ न्यास स्वतः एकत्रित रित्या चालवतील कोणीही इतर व्यक्तीस किंवा इतर संस्थेस चालविण्यास देणार नाही. किंवा हस्तांतरित करणार नाही. याबाबत प्रतिज्ञापत्र.
- 13 जागा निवासी असल्यास संबंधीत गृहनिर्माण संस्था अगर तत्सम प्राधिकरणाचे निवासी जागेतील शिधावाटप दुकानासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र.
- 14 भाडेतत्वावर दिल्या गेलेल्या जागेसंबंधी मुळ जागा मालकाचे विधी ग्राह्य दस्तावेज.
- 15 प्रस्तावित दुकानाच्या जागेसंबंधीत / बांधकामाच्या वैधतेसंबंधी / इतर तत्सम बाबींसाठी कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियमांचा / केंद्र शासनाच्या कायद्याचा भंग झाल्यास दुकान विनाविलंब / विनानोटीस रद्द करण्यात येईल हि अट मान्य असल्याचे रु. 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवरील नोंदणीकृत प्रतिज्ञापत्र किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नाहरकत प्रमाणपत्र.
- 16 पंचायत / स्वयंसहायता बचत गट./ संस्था/ सार्वजनिक संस्था/ न्यास यांचे नावे अन्य कोठेही शिधावाटप दुकान कार्यान्वीत नसल्याचे रु 100 च्या स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र किंवा स्थानिक प्राधिकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र.
- 17 पंचायत / स्वयंसहायता बचत गट./ संस्था/ सार्वजनिक संस्था/ न्यास सदस्यांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याबाबत रु. 100/ च्या स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र.
- 18 जाहीरनाम्यातील नमूद गावांपैकी ज्या स्वस्त धान्य दुकानाचे प्राधिकारपत्र अनुज्ञप्ती प्राधिकारी यांचे आदेशान्वये रद्द करणेत आलेले आहे व त्या बाबत मा. उप आयुक्त (पुरवठा) मा.मंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा, महाराष्ट्र राज्य अथवा मा. उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे अपील निर्णयाकामी प्रकरणे प्रलंबित आहे अशा स्वस्त धान्य दुकानासाठी पात्र पंचायत/संस्था/गट यांची केवळ निवड करून ठेवणेत येईल. तदनंतर प्रस्तुत प्रकरणी मा.न्यायालय अथवा अपील प्राधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयास अधीन राहून पुढील कार्यवाही करणेत येईल.

19 प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे कडील पत्र क्र. राभादू 1716/प्र.क्र.239/17/नापू 31, दिनांक 7/9/2018 मधील मुद्दा क्रमांक 6 मध्ये मा. उप आयुक्त (पुरवठा) मा.मंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा, महाराष्ट्र राज्य अथवा मा. उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालय येथील प्रलंबित प्रकरणांमध्ये शासन परिपत्रक क्रमांक राभादू 2117/प्र.क्र.157/नापू 31, दिनांक 08/11/2017 मध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार मा. न्यायालय व अपीलावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून त्या ठिकाणी नवीन प्राधिकारपत्र मंजूर करण्याची कार्यवाही करू नये. उक्त नमूद जाहीरनाम्यातील नमूद गावांपैकी अ.क्र. 5- पारगाव मौला, अ.क्र. 11- येळपणे, अ.क्र.12 - पोलीसवाडी, अ.क्र. 16 - राजूरी व अ.क्र. 75 - कोपरगाव बाबत प्रकरण मा. उप आयुक्त (पुरवठा) जिल्हा/ सत्र न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय येथे प्रलंबित आहेत. सदर प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतर प्राधिकारपत्र मंजूर करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

सही/---

(डॉ. राजेन्द्र ब. भोसले)

जिल्हाधिकारी अहमदनगर

क्र.पुरवठा/ कार्या जिपु 4(2)/212/2021

अहमदनगर दिनांक 13/08/2021

प्रत- जिल्हा माहिती अधिकारी, अहमदनगर यांचेकडेस 5 प्रतिसह स्थानिक वृत्तपत्रात विनामुल्य प्रसिध्द करणेकामी.

प्रत- मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहमदनगर

सदरचा जाहिरनामा आपले कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर डकवावा व त्यास व्यापक प्रसिध्दी देणेत यावी.

प्रत- तहसिलदार सर्व-----

2/- वरील जाहिरनामा गावी दवंडीने प्रसिध्द करावा नोटीस बोर्डावर डकवावा तसेच ग्रामपंचायत तलाठी कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर प्रसिध्द करून प्रसिध्दीचा अहवाल प्राप्त अर्जाचे चौकशी प्रकरणासह सादर करावा.

प्रत- 1. जिल्हा समन्वय अधिकारी महिला आर्थिक विकास महामंडळ अहमदनगर

2. प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर

3. गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती-----

2/- सदरचा जाहिरनामा आपले कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर डकवावा व प्रसिध्दीचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा.

प्रत - जिल्हा विज्ञान व सुचना अधिकारी अहमदनगर

अहमदनगर जिल्हयाच्या संकेतस्थळावर सदरचा जाहीरनामा प्रसिध्द करणेत यावा.

सही/---

जिल्हा पुरवठा अधिकारी

अहमदनगर.

शासन निर्णय क्र. राभादु-१७१६/प्र.क्र.२३९/नापु-३१ दिनांक ६, जुलै २०१७ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या जाहिरनाम्याचे अनुषंगाने स्वस्त धान्य दुकान परवाना मिळण्यासाठी करावयाचा अर्जाचा नमुना

| | | |
|---|---|--|
| १ | अर्जदाराचे नाव व पत्ता - | |
| २ | ज्या स्वस्त धान्य दुकानाकरीता अर्ज करीत आहे त्याचा पत्ता - | |
| ३ | अर्जदार संस्था निम्नलिखित कोणत्या प्रकारात मोडतात | |
| | १) पंचायत (ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था) | |
| | २) नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट | |
| | ३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था | |
| | ४ संस्था नोंदणी अधिनियमांतर्गत नोंदणी झालेल्या सार्वजनिक संस्था किंवा सार्वजनिक न्यास. | |
| ४ | अर्जदार ग्रामपंचायत/संस्था/स्वयंसहाय्यता गटाचे नाव नोंदणी क्रमांक व दिनांक - | |
| ५ | ग्रामपंचायत/संस्था/स्वयंसहाय्यता गटाची सदस्या संख्या – संस्थेचे नियमित लेखापरिक्षण करण्यात आले आहे काय (सन 2016-2017 पासून आज पावेतो) लेखा परिक्षण वर्गिकरण अहवाल व पदाधिका-यांची नावांची पत्त्यासह यादी सोबत जोडली आहे काय ? | |
| ६ | अर्जदार ज्या ठिकाणी स्वस्त धान्य दुकान चालविणार आहे त्याचा पत्ता – जागेचे दस्तऐवज ४ अ, मिळकत उतारा, घरपट्टी, लाईटबिल याबाबत ची प्रत | |

| | | |
|----|---|--|
| ७ | अ) स्वस्त धान्य दुकानाची जागा भाडोत्री असल्यास भाडे करारनामा व ज्याची जागा आहे त्याचे नाव व पत्ता - | |
| | ब) दुकानाचे क्षेत्रफळ - | |
| | क) गोदाम असल्यास त्याचा पत्ता - | |
| ८ | वर नमूद ठिकाणी धान्याचा किरकोळ व्यापार होतो काय ? | |
| ९ | अर्जदार ग्रामपंचायत/संस्था/स्वयंसहायता गट मधील सदस्या पैकी एक किंवा अनेक व्यक्ती प्राधिकृत शिधावाटप विक्रेता असल्यास भारतीय दंड संहिता मद्यनिषेध अधिनियम अथवा शिधावाटप आदेश १९६६, अत्यावश्यक वस्तू कायद्याखाली दोषी ठरविण्यात आहे आहे काय ? | |
| ११ | अर्जदार ग्रामपंचायत/संस्था/स्वयंसहायता गट हे कोणतेही दुसरे प्राधिकृत स्वस्त धान्य दुकान चालवितात काय ? | |
| १२ | अर्जदार यांची आर्थिक स्थिती कशी आहे?. संस्थेच्या बाबतीत भरणा केलेला भाग भांडवल, खेळते भांडवल, राखीव निधी व इतर निधी यांचा तपशील द्यावा - (सोबत गेल्या ३ वर्षांचे बँक खात्याचे विवरणपत्र जोडले आहे काय?) | |
| १३ | अर्जदार ग्रामपंचायत/संस्था/स्वयंसहायता गटा चे सदस्य यांचे नातेवाईक किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती/भागीदार यांचे नातेवाईक किंवा यांचे कुटुंबातील हितसंबंध असलेल्या व्यक्तींनी रास्त भाव दुकानासाठी अर्ज केला आहे काय, असल्यास तपशील. | |
| १४ | निवड झाल्यास व्यापारात किती भांडवल गुंतवू शकाल | |
| १५ | भांडवलाचा हमी पुरावा- बचत भांडवल, बँकेची हमी, अन्य कुठलाही पुरावा | |

| | | |
|----|---|--|
| १६ | जिल्हा पुरवठा कार्यालय, अहमदनगर यांचे मार्फत क्र. पुरवठा/जिपु ४(१)/२४५/२०१८ दिनांक ४/५/२०१८ नुसार प्रसिध्द करणेत आलेल्या जाहिरनामामध्ये नमुद संपूर्ण कागदपत्रे या सोबत जोडली आहेत काय ? | |
|----|---|--|

मी, या अर्जाद्वारे असे जाहीर करतो/करते की, वर दिलेली माहिती ही माझे माहितीप्रमाणे खरी व बरोबर आहे. रास्त भाव दुकानदार संबंधातील सर्व प्रचलीत नियमांचे काटेकोरपणे पालन करीन.

ठिकाण :-

दिनांक :- / /२०२१

अर्जदाराची स्वाक्षरी

नाव —

पदनाम-

संस्थेचे नाव -

-स्वयंघोषणापत्र-

मी, श्री..... यांचा मुलगा/मुलगी, वय -.....
वर्षे, आधार क्रमांक व्यवसाय -.....रा.....
याद्वारे घोषित करतो/करते की, वरील सर्व माहिती माझ्या व्यक्तिगत माहिती व समजूतीनुसार खरी आहे.
सदर माहिती खोटी आढळून आल्यास भारतीय दंड संहिता आणि/किंवा संबंधित कायदानुसार माझ्यावर
खटला भरला जाईल व त्यानुसार मी शिक्षेस पात्र राहीन याची मला पूर्ण जाणीव आहे.

ठिकाण :-

दिनांक :- / /२०२१

अर्जदाराची स्वाक्षरी

नाव —

- स्वयंघोषणापत्र-
(स्वयं-साक्षांकनासाठी)

मी, श्री..... यांचा मुलगा/मुलगी, वय -.....
वर्षे, आधार क्रमांक व्यवसाय -.....रा.....
याद्वारे घोषित करतो/करते की, मी स्वयं-साक्षांकित केलेल्या प्रती या मूळ कागदपत्रांच्याच सत्यप्रती आहेत.
त्या खोट्या असल्याचे आढळून आल्यास, भारतीय दंड संहिता अन्वये आणि/ /किंवा संबंधित कायदानुसार
माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यानुसार मी शिक्षेस पात्र राहीन याची मला पूर्ण जाणीव आहे.

ठिकाण :-

दिनांक :- / /२०२१

अर्जदाराची स्वाक्षरी

नाव —